पत्रावली आज पेश हुई । वादी वकील उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 02 ता 5 के वकील उपस्थित । प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 पर बहस सुनी गई। । प्रतिवादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 द्वारा जरिये विक्रेय विलेख वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 665/356 रकबा 02.1692 हैक्टयर पंजीयन दस्तावेज संख्या 202103096100899 दिनांक 06.07.2021 को उपपंजीयक सिवाना मै वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 स्वंय उपस्थित होकर अपने हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा कानसिंह पुत्र धुडसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना को बेचान प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा मौके पर खरीददार को सुपुर्द कर पंजीबद्व करवाया तथा मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि से अपने हिस्से से व मौके से बेदखल हो गये। लेकिन वादी ने जानवूझकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 05 के विरूद्व झूठा वाद पत्र बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्री में पेश किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 का देहान्त दिनांक 25.08.2013 को हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रतिवादी वकील संख्या 02 ता 05 द्वारा पेश की गई है। वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व उक्त दावा पेश किया गया है तथा उक्त वाद पत्र में वादी द्वारा जानवूझकर खरीददार कानसिंह को आवश्यक पक्षकार होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया गया है वादी द्वारा उक्त वाद न्यायालय को गुमराह करते हुये स्वच्छ हाथो से पेश नहीं किया गया है । इसलिए वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादी के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावे।

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जबाव पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी निवेदन किया गया है कि वादी कम पढा लिखा है तथा वादी को गुमराह कर वादी के हिस्से को बेचान किया है जिसका निर्धारण साक्ष्य में तय हो सकता है तथा वादी को उक्त बेचाननामो की जानकारी नहीं है ।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य सबूत का गहराई से अवलोकन किया बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 द्वारा जरिये विक्रेय विलेख वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 665/356 रकबा 02.1692 हैक्टयर का पंजीयन दस्तावेज संख्या 202103096100899 दिनांक 06.07.2021 को उपपंजीयक सिवाना के समक्ष स्वंय उपस्थित होकर अपने हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा कानसिंह पुत्र धुडसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना को बेचान प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान किया गया है प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के वकील द्वारा प्रस्तुत विक्रय [illegible] संख्या 1 के पुश्त प पर वादी की स्वंय की फोटो लगी हुई है । प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का देहान्त दिनांक 25.08.2013 को हो चुका है लेकिन वादी द्वारा मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है मृत व्यक्ति के विरूद्व किसी प्रकार का वाद पत्र नहीं लाया जा सकता है। वादी वकील के यह कथन गलत है कि वादी कम पढा लिखा है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के जबाव पर वादी द्वारा अंग्रेजी भाषा मे हस्ताक्षर किया हुआ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:48 IST
Reason: SelfAttested

जिससे साबित होता है कि वादी पढा लिखा व्यक्ति है तथा गुमराह नहीं हो सकता है। साथ ही वादी द्वारा जानबूझकर जिसको वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान की गई है उस खरीददार कानसिंह को भी आवश्यक पक्षकार होते हुये भी वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गंया जबकि बेचान नामा से जाहिर होता है कि वादी द्वारा मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था उक्त अंकन बेचान नामा में अंकित है। जब वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार भी नहीं रहा है तो उक्त बंटवाडा का वाद पत्र न्यायालय मे पेश कर बंटवाडा नहीं करा सकता है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त वाद मात्र प्रतिवादीगण को मानसिंक रूप से परेशान करने व न्यायालय को गुमराह करते हुये साफ हाथो से पेश नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर । वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:48 IST
Reason: SelfAttested